-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस द्वारा कावड़ियों की गाडी चोरी करने अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को थाना **मटौंध पुलिस द्वारा** कावडियों की गाडी चोरी करने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । अभियुक्त के कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद । गौरतलब हो कि दिनांक 20.07.2025 को जनपद झांसी के थाना टोडीफतेहपुर क्षेत्र के रहने वाले दीपू पुत्र रघुवीर सिंह ने अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 19.07.2025 की रात्रि को चार पहिया वाहन चोरी करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया । जिसमें गाड़ी को दिनांक 20.07.2025 को बरामद कर लिया था जिसे चोर जौहरी मार्ग पर छोडकर भाग गए थे । इसी क्रम में आज दिनांक 29.09.2025 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा अभियुक्त की पहचान करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गवाईन नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । तलाशी मे उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ । अभियुक्त से उसके साथियों के बारे में पूछताछ कर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सोमेश्वर तिवारी पुत्र रामकृष्ण तिवारी निवासी ग्राम अछरौड थाना मटौंध जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0- 148/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा ।
- बढोत्तरी धारा 317(2)बीएनएस धारा 3/25 आर्मस् एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी भूरागढ़ श्री अनिल कुमार साहू
2. कां0 अश्वनी कुमार
3. कां0 अजय कुमार